प्रेस नोट दिनांक 30.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के अभियोग में 01 नामजद वांछित अभियुक्त शमशाद खान उर्फ रानू गिरफ्तार, पूर्व में 03 अभियुक्तों को भेजा जा चुका है जेल-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 408/2026 से संबंधित 01 नामजद वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.10.2026 को सुबह थाना कुण्डा क्षेत्रांतर्गत ग्राम दर्जियाना मजरे बरई निवासी मुख्तार अहमद अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी पड़ोसी मो0 शमीम व मो0 कलीम द्वारा लकड़ी का दरवाजा खोलकर जाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों ने अपने अन्य साथियों मो0 शमशाद, मो0 शानू एवं मो0 कैफ को बुला लिया तथा सभी ने एकराय होकर लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से मुख्तार अहमद, उनके भाई आशिक अली एवं पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे मुख्तार अहमद व उनके भाई के सिर में गंभीर चोटें आईं तथा आशिक अली बेहोश हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 0408/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 110, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।। उक्त घटना में पूर्व में ही 03 नामजद अभियुक्तों- मो0 कलीम, मो0 शमीम एवं मो0 कैफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

प्रतापगढ़
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विनय कुमार वर्मा मय हमराह का0 अतुल कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं पतारसी-सुरागरसी के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत मवई रेलवे फाटक के पास से मु0अ0सं0 408/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 110 बीएनएस से संबंधित 01 नामजद वांछित अभियुक्त शमशाद खान उर्फ रानू पुत्र मो0 नसीम निवासी ग्राम दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- शमशाद खान उर्फ रानू पुत्र मो0 नसीम निवासी ग्राम दर्जियाना मजरे बरई, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 विनय कुमार वर्मा मय हमराह का0 अतुल कुमार यादव, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 33 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के संबंध में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंटों की शत-प्रतिशत तामीली के क्रम में संबंधित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.10.2026 को उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह रिक्रूट आरक्षी सुनील द्वारा ग्राम मदरा में दबिश देकर माननीय न्यायालय श्रीमान सीजेएम (कोर्ट नं0-13), प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त दुखी पुत्र सरजू निवासी ग्राम मदरा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के बाहर से समय करीब 13:04 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दुखी उपरोक्त के विरुद्ध आपराधिक वाद संख्या 11455/2020 (राज्य सरकार बनाम दुखी), मूल मु0अ0सं0 198/1993, धारा 452/324 भा0द0वि0, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित माननीय न्यायालय श्रीमान सीजेएम (कोर्ट नं0-13), प्रतापगढ़ द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
दुखी पुत्र सरजू निवासी ग्राम मदरा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह रिक्रूट आरक्षी सुनील थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।